न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

2022 — तारीख फैसला 12.11.2022

उनवान

1 शकुन्तला देवी पुत्री मांगीलाल, पत्नी मोती सिंह जाति मीणा निवासी ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीनी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती</u>

निर्णय

वादीनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीनी की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 110 रकबा 1.90 हे0, ख0नं0 230 रकबा 0.04 हे0, कुल किता 2 रकबा 1.28 हे0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है, जिसमें वादीनी का नाम बूचीबाई दर्ज है। नकल जमाबंदी संलग्न है।

यह कि वादीनी का नाम शकुन्तला देवी है। राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम शकुन्तला देवी के स्थान पर धन्नी बाई अंकित हो गया। जबकि वादीनी के आधार कार्ड, पेन कार्ड , वोटर आईडी मे वादीनी का नाम शकुन्तला देवी अंकित है इस कारण राजस्व रिकार्ड में धन्नीबाई अंकित होने के कारण वादीनी अपने खाते व हिस्से की भूमि पर ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने मे कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम धन्नी बाई के स्थान पर शकुन्तला देवी दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादीनी का निवेदन है कि [illegible] के विरुद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि–

अतः वादीनी ने निवेदन किया है कि ग्राम गढेपान तहसील दीगोद जिला [illegible] वादीनी की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 110 रकबा 1.90 हे0 [illegible] किता 2 रकबा 1.28 हे0 भूमि में वादीनी [illegible] धन्नीबाई [illegible] देवी दर्ज किया जाकर [illegible] दुरूस्त [illegible] व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में धन्नीबाई व शकुन्तला देवी एक ही महिला होना प्रकट किया है। वादीनी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार गुड्डीबाई पुत्री परमाल का शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत गढेपान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीनी की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 110 रकबा 1.90 हे0, ख0नं0 230 रकबा 0.04 हे0, कुल किता 2 रकबा 1.28 हे0 भूमि में वादीनी का नाम धन्नीबाई पुत्री मांगीलाल के स्थान पर धन्नीबाई उर्फ शकुन्तला देवी पुत्री मांगीलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)